Universe Journal of Education & Humanities ISSN 2348-3067
Volume-I, No. I, Feb.-2014, pp. 92-96

नारी शोषण के कारण एवं निवारण : भारतीय सन्दर्भ में

डा0 विनीता गुप्ता
रीडर एवं विभागध्यक्षा, शिक्षाशास्त्र,
दाऊ दयाल महिला (पी.जी.) कॉलेज, फिरोजाबाद उ0प्र0 भारत।

सृष्टि के आरम्भ से लेकर अब तक महिला कभी पुष्पित एवं पल्लवित होती दिखाई दी, तो कभी दबी–कुचली एवं पीड़ित होती दिखाई दी। हमारे देश में नारी स्थान सर्वोपरि है। परन्तु स्त्री सबला से अबला कब हो गई यह कहना मुश्किल है। जिस तरह पत्थर में अग्नि व्याप्त है और संघर्ष के बगैर उसमें से चिंगारी नहीं निकलती उसी तरह नारी के अन्दर भी अथाह जीवन शक्ति है जिसे हम समझ नहीं पाते। सदियों से रूढ़ियों, जर्जर परम्पराओं और शोषण के शिकंजे से कसी एवं जकड़ी हुई स्त्रियाँ आज थोड़ा सा समर्थन पाने के लिए, अपनी आजादी और अस्मिता की रक्षा का वास्तविक मार्ग तलाशने के लिए तरस रही हैं। उपहास, तिरस्कार, बद से बद्तर व्यवहार, मार–पीट, सताना, जलाकर मार देना, यह उसके जीवन का हिस्सा बन गया है।

शोषण से तात्पर्य सामान्यतः एक व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा कार्य या व्यवहार है, जिससे दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुँचता हो। शोषण विविध सन्दर्भों में समझा जा सकता है, यथा – भेदभाव, हिंसा, क्रूरता, शोषण, क्लेश देना या पीड़ा पहुँचाना, छेड़छाड़ या हमला करना। महिलाओं का शोषण, अपमान, दमन, तिरस्कार, एवं यन्त्रणा उतनी ही प्रचीन है जितना कि पारिवारिक जीवन का इतिहास।

कामकाज स्त्रियों की स्थिति तो और भी दयनीय है। घरेलू स्त्रियों की ईर्ष्या की पात्र और घर–बाहर के दोहरे मोर्चे में सन्तुलन का प्रयास करती इन स्त्रियों में से लगभग दो–तिहाई ने कार्यस्थल पर, मार्ग में अथवा अन्यत्र कभी न कभी यौन शोषण भोगा है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक दिल्ली, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, बैंग्लौर तथा त्रिवेन्द्रम में 2,460 स्त्रियों तथा पुरूषों में से 80% मानते हैं कि उनके दफ्तरों में स्त्रियों का यौन शोषण होता है।

इस अध्ययन का उद्देश्य महिलाओं पर हो रहे शोषण एवं उत्पीड़न के कारण जानना एवं उनके निवारण हेतु कानूनी सम्भावनायें तलाशना है।

शोषण के कारण– आज की इस आधुनिकता के दौर में महिला कामकाजी तो हो गई है परन्तु साथ ही साथ उसके लिए अत्याचार, शोषण, प्रताड़ना के कई दरवाजे भी खुल गये हैं। कुछ ने मजबूरी के कारण तो कुछ ने तो समाज में अपना बजूद कायम करने के लिए कार्यक्षेत्र में कदम तो आगे बढ़ाया, मगर उसकी कूटनीति से लड़ने के लिए हिम्मत नहीं जुटा सकी। प्रस्तुत अध्ययन में फिरोजाबाद तथा आगरा जिले की 200 कार्यशील महिलाओ से प्रश्नावली के माध्यम से आँकड़े एकत्रित किये गये। इसमें 100 आगरा और 100 फिरोजाबाद की महिलाओं को लिया गया। इस अध्ययन में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहीं महिलाओं को लिया गया। प्रस्तुत सारणी में कार्यशील महिलाओं पर हो रहे शोषण के कारणों को दिखाया गया है।

सारणी (1) नारी उत्पीड़न के कारण

कुल योग = 200

क्र.	कारण	संख्या	प्रतिशत
1.	कमजोर पारिवारिक आर्थिक स्थिति	60	30.0
2.	महिलाओं में आत्मनिर्भर बनने की ललक	52	26.0
3.	आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु	58	29.0

4.	नौकरी छूटने के डर से	42	21.0
5.	आधुनिकता के प्रभाव के कारण	47	23.5
6.	पुरूषों से बराबरी के कारण	53	26.5
7.	बदनामी के डर से	40	20.0
8.	विरोध न करने के कारण	58	29.0
9.	आर्थिक रूप से अन्य पर निर्भर होने के कारण	32	16.0
10.	दोहरी सामाजिक मूल्य एवं प्रतिमान के कारण	35	17.5
11.	अन्य	10	05.0

तालिका स्पष्ट करती है कि 30% महिलायें आर्थिक स्थिति और 29% महिलायें आर्थिक स्थिति में सुधार करने एवं 29% विरोध न कर पाने के कारण उत्पीड़न का शिकार होती हैं, केवल 5% महिलायें ऐसी थी जिन्होनें उत्पीड़न सहने कारण स्पष्ट नहीं किया।

नारी शोषण के प्रकार – महिलाओं पर कई प्रकार के अत्याचार होते हें जो महिलाओं के स्वतंत्र व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा स्थापित करने में सैद्धान्तिक चुनौती के रूप में काम करते हैं। सारणी नं0 2 मे चयनित उत्तरदायित्रियों के साथ हुए उत्पीड़न के आधार पर उत्पीड़न के प्रकारों का किया गया है –

सारणी (2) नारी शोषण के प्रकार

क्र.	प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1.	मानसिक	150	75.0
2.	आर्थिक	50	25.0
3.	शारीरिक	70	35.0
4.	पारिवारिक	140	55.0
5.	एक से अधिक प्रकार	25	12.5
6.	किसी प्रकार से नहीं	35	17.5

तालिका बताती है कि सबसे अधिक 75 प्रतिशत महिलायें मानसिक तथा 55 प्रतिशत महिलायें पारिवारिक उत्पीड़न का शिकार होती हैं।

मानसिक शोषण में घर वालों द्वारा काम न करने पर दबाव समाज के कुछ अनैतिक तत्वों द्वारा बदनाम करने का प्रयास, कार्यस्थल पर लोगों द्वारा गन्दी फस्तियाँ कसना, गलत तरीके से घूरना आदि आते हैं। शारीरिक शोषण में घर या कार्यस्थल में क्षमता से अधिक कार्य करवाना, मारपीट, छेड़छाड़, हत्या का प्रयास, विवाह हेतु लड़की को वस्तु की तरह दिखाना आदि आते हैं। आर्थिक शोषण, धन सम्पत्ति हड़प लेना, समय पर तनख्वाह न देना, स्त्री को कमाई का साधन बनाना आदि आते हैं। इसके साथ ही नौकरी के नाम पर धन लेना भी इसमें शामिल हैं। पारिवारिक कारणों में महिला के माता–पिता तथा ससुराल दोनों का परिवार आता है। माता–पिता के परिवार में भाई की तुलना में उपेक्षा स्वतंत्रता में कमी आदि शामिल हो सकता है। ससुराल में दहेज, नौकरी पर प्रतिबन्ध, शारीरिक दुर्बलता, बांझपन, पुत्र संतान का न होना, अशिक्षा भी शोषण के कारण हो सकते हैं।

नारी शोषण का स्थान – नारी शोषण का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता हैं। सामान्यतः घर में महिलाओं का उत्पीड़न कम होता है और कार्यस्थल पर अधिक। प्रस्तुत सारणी में घर एवं घर के बाहर महिलायें कहाँ–कहाँ उत्पीड़ित होती है यह दिखाया गया है –

सारणी (3) नारी शोषण का स्थान

क्र.	स्थान	संख्या	प्रतिशत
1.	घर में	70	35.0
2.	सार्वजनिक स्थल	35	17.5
3.	कार्यस्थल	110	55.0
4.	गली मोहल्ले या पास पड़ोस में	45	22.5
5.	बस, ओटो आदि	54	27.0
6.	सभी जगह	12	06.0
7.	कहीं नहीं	42	21.0

महिला पर शोषण में पुरूष एवं खुद महिलायें दोनों ही शामिल है। पुरूषों में कार्यस्थल पर कार्यरत पुरूष, सार्वजनिक स्थानों पर मिलने वाले पुरूष, परिवार के पुरूष सदस्य आदि आते हैं। महिलाओं में, कार्यस्थल पर कार्यरत

महिलायें, उच्च पद प्राप्त महिलायें, परिवार की महिला सदस्यों द्वारा उत्पीड़न किया जाता है।

यदि हम परिवार द्वारा शोषण की बात करें तो इसमें एक परिवार की आमदनी भी एक कारण हो सकता है। आमदनी अधिक होने पर व्यक्ति उदार हृदय का होता है और उसे आर्थिक कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ता अतः शोषण कम होता है। यह भी देखने में आया कि एंकाकी परिवारों की तुलना में संयुक्त परिवारों में नारी पर उत्पीड़न अधिक होता है। पारिवारिक उत्पीड़न में पारिवारिक सदस्य, पड़ौसी, मित्र, साथ पढ़ने वाले महिला व पुरूष छात्र, कार्यस्थल पर कार्य करने वाले पुरूष एवं महिलायें एवं अपरिचित लोग भी शामिल हैं।

आज नारी में अपने साथ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की शक्ति आ चुकी है और धीरे–धीरे बढ़ते हुये अन्याय के प्रति हर महिला खुद को मजबूत कर चुकी है। यदि वह शक्ति प्रत्येक कार्यशील महिला में आ जाये तो महिला की स्थिति में शीघ्र परिवर्तन हो सकता है। विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अधिकांश महिलायें यह मानती हैं कि शोषण के खिलाफ आवाज उठाने पर अन्य महिलाओं में जागृति उत्पन्न होगी।

परन्तु महिला शोषण का कारण खुद महिला भी हैं क्योंकि बचपन से उसके संस्कारों में खुद स्त्री ही उसको ये सब सिखाती हैं। कार्यशील महिलाऐं चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाये परन्तु अपनी उपेक्षा के खिलाफ बोलने का साहस नहीं कर पाती और इसीलिए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाई हैं। 35% महिलायें सोचती हैं कि वह एक महिला है और उसको सब कुछ सहन करना पड़ेगा, 25% महिलायें यह मानती हैं कि यह हमारे संस्कारों में शामिल है या 28% महिलायें यह मानती हैं कि नौकरी करने के लिए आपको शोषण का विरोध करने का अधिकार नहीं है।

लड़की के माता–पिता तथा अभिभावक सदा यही सलाह देते हैं कि तुम्हें सहनशील होना है। जुल्म, अत्याचार सहकर भी तुम्हें मुँह नहीं खोलना है। मन में सदा दूसरों के प्रति समर्पण तथा सेवा का भाव लेकर रहना है तथा घर में जो भी मिले उसे स्वीकार करना है, उससे ज्यादा पाने या माँगने का तुम्हें अधिकार नहीं है। इस प्रकार सामाजिक व्यवहार में पलने वाली स्त्री को न तो भरपेट खाना मिलता है और न उसका स्वास्थ्य ठीक होता है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि पुरूष को स्त्रियों की तुलना में अधिक पौष्टिक भोजन मिलता है। भारत में प्रतिवर्ष एक करोड़, पचास लाख लड़कियाँ पैदा होती है परन्तु कुपोषण के कारण बहुत सी युवा होने से पहले ही मर जाती है। भारत में लड़कों की तुलना में प्रतिवर्ष 3 लाख लड़कियाँ अधिक मरती है।

कामकाजी महिला शोषण को कम करने हेतु सुझाव – हमारे देश की परम्परा नारी को बहुत अधिक सम्मान देने की रही है। नारी को पुरूष की अर्धांगिनी मानने वाले एकमात्र संस्कृति वाले देश में नारियों पर बढ़ते अपराध निश्चित ही चिन्ता एवं शर्म का विषय है। इनकी रोकथाम हेतु बनाये गये विधान तथा कानून भी अपर्याप्त हैं –

वस्तुतः यह एक ऐसी सामाजिक समस्या है जिसका निदान कानून बनाकर नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज की मनोवृत्ति में परिवर्तन की आवश्यकता है। महिलाओं पर निरन्तर हो रहे उत्पीड़न के लिए निम्न उपाय सुझाये जा सकते हैं–

1. महिला थानों तथा परिवार अदालतों को अधिक संख्या में खोला जाना चाहिए ताकि महिलायें बेझिझक अपने ऊपर होने वाले उत्पीड़न की रिपोर्ट लिखा सकें तथा न्याय की माँग कर सकें।

2. नारियों पर होने वाले अपराधों के दोषी व्यक्तियों को सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए और न्याय मिलने में विलम्ब नहीं होना चाहिए।

3. यौन उत्पीड़न एवं विशेषकर बलात्कार के मामलों की सुनवाई तथा निर्णय पूर्णतया महिला अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।

4. स्त्री शिक्षा के पाठ्यक्रम में आरोग्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा के विषय अनिवार्य रूप से

सम्मिलित किये जाने चाहिए। आत्मारक्षा हेतु लड़कियों को जूडो–कराटे तथा अन्य तकनीकि प्रशिक्षण अवश्य दिलाया जाना चाहिए।

5. नाबालिग बच्चियों के साथ किया जाना वाला बलात्कार या यौन उत्पीड़न जैसे जघन्य कार्य गैर जमानती अपराध घोषित किये जाने चाहिए।

6. राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा नारी उत्पीड़न को रोकने के लिए सुझाये गये उपायों को तुरन्त स्वीकृति प्रदान कर सरकार द्वारा उसके शोध क्रियान्वयन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

7. सभी स्त्रियों को संगठित कर उन्हें उनके अधिकारों व नारी संरक्षण कानूनो की जानकरी दी जानी चाहिए।

8. एक सुस्पष्ट एवं सुविचारित महिला नीति का निर्माण किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर, शिक्षित तथा जागरूक बनाने हेतु आवश्यक उपायों का समावेश किया जाना चाहिए।

9. महिलाओं को स्वंय महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें दूसरी महिला को दहेज आदि के बारे में सताना नहीं चाहिए।

10. महिलाओं की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति को सुधारने के लिए स्वंय सेवी, समाज सेवी तथा गैर सरकारी संगठनों के विस्तार का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

11. परिवार बालिकाओं की समुचित शिक्षा तथा पोषण पर ध्यान दें ताकि उनका चहुमुखी विकास हो।

12. बाल वैश्यावृत्ति रोकी जाये।

13. समाज में उच्चपद प्राप्त करने हेतु महिलायें स्वंय नव–जागृति आन्दोलन चलायें।

14. महिलाओं को उत्पाद स्त्रोतो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति सूचना एवं प्रौद्योगिकी में बराबरी का अधिकार दिया जाये।

15. महिलाओं को राजनैतिक निर्णय की प्रक्रिया में साझेदारी सुनिश्चित करने हेतु उचित कदम उठाये जायें।

16. नारी स्वंय नारी का उत्थान करे जिससे महिलाओं में सामूहिक जागृति पैदा हो सके तथा साथ मिलकर अन्य सामाजिक गतिविधियों में भाग लें।

यद्यपि महिला शोषण को कम करने तथा समाप्त करने के लिए अनेको सामाजिक और वैधानिक प्रयास विभिन्न महिला सगंठनों तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा किये गये हैं तथापि महिला उत्पीड़न का निरन्तर बढ़ता ग्राफ उनकी कमियों को उजागर करता है। अभी हाल ही में (13 सितम्बर 2013) को दिल्ली गैंगरेप के प्रमुख चारों आरोपियों को फाँसी की सजा होना इस बात का सबूत है कि कानून अभी मरा नहीं है। अध्ययन के दौरान विभिन्न सूचनादाताओं से महिला उत्पीड़न को कम करने के प्रयासों के बारे में जानकारी प्राप्त करने से निम्न सुझाव प्राप्त हुए हैं

1. पारिवारिक स्तर पर शोषण को समाप्त करना चाहिए।
2. महिला सगंठनों के प्रयासों को भी महिलायें शोषण कम करने या रोकने में सहयोगी मानती है।
3. वैयक्तिक स्तर पर मुख्यतः महिलायें शिक्षा, आत्मविश्वास और दृढ़ चरित्र के द्वारा अपने आप पर होने वाले उत्पीड़न का प्रतिरोध कर सकती है।
4. समुचित और त्वरित न्याय प्रबन्ध के द्वारा भी शोषण को रोकने में सहायता मिल सकती है।
5. औरतें इस मानसिकता को तोड़ें कि वे एक औरत हैं सब कुछ सहना उनका नसीब है।
6. शोषण के विरूद्ध जो भी विधान, योजनायें, नियमों को सभी कार्यस्थल, कार्यक्षेत्रों या समाचार पत्रों में विस्तार से प्रचार–प्रसार करना चाहिए जिससे जागरूकता आये।

विवेकानन्द जी ने कहा था कि **"स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण**

का कोई मार्ग नहीं। किसी पक्षी का एक पंख के सहारे उड़ना नितान्त असम्भव है।" चिरकाल से चली आ रही नारी जाति की कोमलता, शक्ति और सहनशीलता के आदर्श को पुनः प्राप्त करने के लिए इनकी समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है।

अतः स्पष्ट है कि भारतीय नारी की स्थिति मजबूत होते हुये भी वह कमजोर है। इसका हम आर्थिक, सामाजिक विकास करें तथा नारी की महत्ता को समझें। उसे पर्याप्त आदर और सम्मान दें। क्योंकि नारी प्रकृति का अद्वितीय सुन्दर उपहार है और वह पुरूष की प्रेरणा है, ऐसी चिरवन्दनीय नारी को सादर सत् सत् नमन। प्रत्येक माँ का यह दायित्व है कि वह अपनी लड़की को दिशा देकर जिजीविषा जगाये और निराश होने पर आत्महत्या करने से बचाये क्योंकि जीवन अमूल्य है। उसे जीवन जीने की कला आनी चाहिए। लड़की धरती पर भार नहीं, धरती का श्रृंगार है। उसे विकृत होने से रोका जाये। वह सृष्टि में अभिशाप नहीं सृजन का वरदान है।

अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश महिलायें मानती हैं कि अगर महिलायें स्वंय में हिम्मत जुटा कर आत्म–विश्वास के साथ उत्पीड़न का खुलकर विरोध करें तो निश्चित ही वह काफी हद तक सफलता पा सकती हैं। 55% महिलाओं का मानना था कि कोई भी योजना महिला सगंठन के कार्यक्रम, महिलाओं की स्थिति को नहीं सुधार सकते जब तक इनका ठीक से प्रचार–प्रसार नहीं किया जाये और जब तक महिलायें स्वंय में मजबूत नहीं होगीं। यह पंक्तियाँ इस पर सार्थक प्रतीत होती हैं–

"बहुत हुई उत्पीड़ित नारी अब तक
बेड़ियाँ तोड़ अब तो लड़ना होगा
अपनी अस्मिता हेतु नारी को
खुद को मशाल बनाना होगा"

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचिः–

- छिल्लर मंजुलता (2010) भारतीय नारी शोषण के बदलते आयाम, अजुर्न पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
- कुमार विपिन (2009) वैश्वीकरण एवं महिला सशक्तिकरण विविध आयाम, रीगल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- मधुकर जी.वी. (2006) भारतीय नारी और उसका त्याग कल्पाज पब्लिकेशन, दिल्ली।
- नाटाणी,प्रकाश नारायण,(2007) कन्या भ्रूण हत्या और महिलाओं के प्रति धरेलू हिंसा, बुक एनक्लेव जयपुर।
- राजकुमार (2003) भारतीय नारीः सामाजिक अध्ययन, अजुर्न पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।
- राजकुमार (2003) महिला एवं विकास अजुर्न पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।
- त्रिपाठी, मधुसुदन (2008) महिला विकास–एक मूल्याकंन ओमेगा पब्लिशिंग दिल्ली।